न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती रक्षा पारीक आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 10 / 2024
किस्म :– **प्रार्थना–पत्र**
दायर दिनांक : 11.03.2024 **निर्णय दिनांक** : 14.05.2024

अनवान

1. बालू पिता चतरभुज जाति गुर्जर निवासी माकरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमंद

..............**प्रार्थी**

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

...............**विपक्षी**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

प्रार्थी की ओर से :– **अधिवक्ता प्रफुल्ल शर्मा**

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपतय एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमिया ग्राम माकरडा, पटवार हल्का साकरडा, तहसील आमेट जिला राजसमंद के खाता संख्या नया 57 व पुराना 74 के आराजी नम्बर 1245 रकबा 1.3400 हैक्टेयर कुल किता 01 रकबा 1.3400 हैक्टेयर है। उक्त आराजी में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित भूमियां प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड बक्षीस नामा दिनांक 01.04.1985 से श्री रामा पिता मोडा जाति गुर्जर निवासी माकरडा से प्राप्त हुई है। उक्त बक्षीस नामा के जरिये पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी के नाम पर नामानतरकरण खोला गया जिसमें प्रार्थी का सही नाम बालु पिता चतरभुज अंकित किया तथा उसी अनुसार जमाबन्दी संवत् 2042 से 2045 में दाखिला अंकित किया गया जिसमें प्रार्थी का नाम बालू पिता चतरभुज अंकित किया गया, जो सही अंकित किया गया था, परंतु उसके पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा नवीन जमाबन्दी संवत् 2046 से 2049 में अंकन करते समय बालू पिता चतरभुज की जगह बालू का नाम विलोपित करते हुए चतरभुज, मांगु पिता रामा गुर्जर अंकन कर दिया गया, जबकि बालु पिता चतरभुज अंकन किया जाना चाहिए था। जमाबंदी में प्रार्थी का नाम बालू पिता चतरभुज अंकित कर उसे काट कर गलत नाम चतरभुज पिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

रामा अंकित कर दिया गया। जिसे सही करवाया जाकर बालू पिता चतरभुज अंकन किया जावे। प्रार्थी का वास्तव में नाम बालू पिता चतरभुज है। प्रार्थी उक्त वर्णित कृषि भूमि में अपने हक,हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। राजस्व रेकार्ड में चतरभुज पिता रामा नाम अंकित होने से प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि या उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा है एवं न ही सरकारी लाभ प्राप्त कर पा रहा है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम ''चत्रभुज पिता रामा'' की जगह ''बालू पिता चतरभुज'' अंकित किए जाने का आदेश फरमाया जावे। तद्नुसार राजस्व रेकॉर्ड को दुरूस्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार आमेट द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम माकरडा के आराजी नं. 1245 रकबा 1.3400 हैक्टेयर भूमि वर्तमान मे चतरभुज पिता रामा 1/2, मांगु पिता रामा 1/2 गुर्जर सा.दहे दर्ज किया है। ग्राम माकरडा के आराजी नं. 1245 रकबा 1.3400 हैक्टेयर जरिये बक्षीसनामे के दिनांक 01.04.1985 को रामा पिता मोडा गुर्जर निवासी माकरडा से बक्षीस प्राप्त हुई थी, जिसका नामान्तरण संख्या 50 दिनांक 05. 02.1986 को स्वीकृत हुआ। तत्कालीन पटवारी द्वारा दर्ज नामान्तरण के आधार पर जमाबन्दी में नोट लगाया गया तथा बालू पिता चतरभुज, मांगू पिता रामा के नाम दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरण का दाखला जमाबंदी संवत 2042 से 2045 के खाता सं. 41 में बालू पिता चतरभुज, मांगू पिता रामा के नाम दर्ज करने का लगाया गया। आगामी रोटेशन जमाबंदी 2046–49 में उक्त नामान्तरण का अमल दरामद खाता सं. 34 में खातेदार बालू पिता चतरभुज 1/2, मांगू पिता रामा 1/2 गुर्जर के बजाय चतरभुज मांगु पिता रामा दर्ज कर दिया गया, जो आज दिनांक तक रिकार्ड में है। अतः वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता सं. 57 में दर्ज खातेदार चतरभुज पुत्र रामा 1/2, मांगु पुत्र रामा 1/2 गुर्जर सा.देह के बजाय बालु पुत्र चतरभुज 1/2, मांगु पुत्र रामा 1/2 गुर्जर सा.देह दर्ज करने हेतु रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

प्रार्थी अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह ताईद हैं कि उक्त वर्णित भूमियां प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड बक्षीस नामा दिनांक 01.04.1985 से रामा पिता मोडा जाति गुर्जर निवासी माकरडा से प्राप्त हुई है। जमाबन्दी संवत् 2042 से 2045 में दाखिला अंकित किया गया जिसमें प्रार्थी का नाम बालू पिता चतरभुज अंकित किया गया, पटवारी हल्का द्वारा नवीन जमाबन्दी संवत् 2046 से 2049 में अंकन करते समय बालू पिता चतरभुज की जगह बालू का नाम विलोपित करते हुए चतरभुज, मांगु पिता रामा गुर्जर अंकन कर दिया गया, जबकि बालु पिता चतरभुज अंकन किया जाना चाहिए था। प्रार्थी का नाम चत्रभुज पिता रामा के स्थान पर बालु पिता चतरभुज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

अन्य दस्तावेज में भी बालु पिता चतरभुज अंकन होना जाहिर आया हैं जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य साबित हैं।

:: आदेश ::

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाता हैं एवं राजस्व ग्राम माकरडा, पटवार हल्का साकरडा, तहसील आमेट जिला राजसमंद के खाता संख्या नया 57 व पुराना 74 के आराजी नम्बर 1245 रकबा 1.3400 हैक्टेयर कुल किता 01 रकबा 1.3400 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम चत्रभुज पिता रामा को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर बालु पिता चतरभुज राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तुर रहे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट

(रक्षा पारीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक 14.05.2024 खुले न्यायालय पर आदेश सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट

(रक्षा पारीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)